

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

1123

प्रकरण संख्या ३००/२०२३

उनवान

बनवारी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुमावत निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

राज०

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ८८ रा०का० अधिनियम १९५५ व
धारा १३६ रा०भू०रा० अधिनियम १९५६

—: : आदेश : :—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिलोरा व भूअ.नि. सिलोरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ की धारा ८८ एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् २०६७-२०७० में खाता संख्या नया १२४ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
१	सिलोरा	१२४	बनवारी लाल पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा १/१२ जाति सिलावट सा. देह खातेदार	बनवारी लाल पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा १/१२ जाति कुमावत सा. देह खातेदार

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ३०/११/२०२३ को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)